

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/अनु0 - 138/2017

7395

/क० पटना दिनांक 18-12-2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मे० रौनक सीड्स प्रा० लि० (अहमदाबाद, गुजरात)
जदुआ रोड, चौहटा, हाजीपुर
जिला- वैशाली

विषय :-

बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र- 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
 2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
 3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेंगे।
 4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
 5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
 6. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या..... 93/2017.....संलग्न है।
 7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
 8. पंजीकरण की वैधता तिथि..... 17/12/2017.....तक मान्य है।
 9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक- 2408 दिनांक- 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- अनु०- बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक- 18-12-2017

ज्ञापांक :

7395

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं

ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ने० रौनक सीड्स प्रा० लि० द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।


पत्रांक- ३३९५

दिनांक- 18/12/2017

LIST OF SEEDS

क्र०सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	RONAK GAURI, RONAK TANISHA, RAJENDRA NILAM
2	MAIZE	RONAK KANCHAN, RONAK KANCHAN-11, RONAK KANCHAN-33, PUSA HM-9
3	GREEN GRAM (MOONG)	RONAK GREEN GOLD
4	TUR	RONAK GANESH
5	TIL (SESAMUM)	MAHA LAXMI
6	URD	KALA SONA
7	BAJRA	RONAK GEETA
8	WHEAT	SUPER SHAKTI, LOK-1
9	MUSTARD	JANAK
10	BHINDI	RONAK RASHMI
11	MATTER	RAJA-10, RAJA-33
12	FODDER	SUMO, SS-555, RAJAKA- LUCERNE (KUTCH)
13	METHI	METHI RONAK MANGAL
14	ONION	N-53, SUPER RED, RANI

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 93/2017

Date 18/12/2017



Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license
श्री ० रोमक सीड्स प्रा० लि० (अहमदाबाद, गुजरात) is hereby granted license to sell, export, import and store for
the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business जडुआ रोड, चौहट्टा, हाजीपुर, जिला- वैशाली the details of
boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
द्वारा- श्रीमति शांति देवी जडुआ रोड, चौहट्टा, हाजीपुर जिला- वैशाली	जडुआ रोड, चौहट्टा, हाजीपुर जिला- वैशाली
उत्तर - जडुआ बाजार समिति	उत्तर - श्री राजनारायण सिंह
दक्षिण - श्रीमति बसन्ती देवी	दक्षिण - श्री मिथलेश कुमार
पुर्व - श्री राजनारायण सिंह	पुर्व - श्री गणेश प्रसाद सिंह
पश्चिम - श्री शंकर पाण्डेय	पश्चिम - श्री गणेश प्रसाद सिंह

Date: 18/12/2017

Seal: 05/12/2017 138/2017

Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna. 15-11-17
Director of Agriculture
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid upto... 17/12/2020
Unless previously cancelled or suspended. (17th December, 2020)
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).